

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

23

शंकर ठाकुर पिता स्व० सिबल ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कुद-1, थाना नं०-143, खाता संख्या-27, प्लॉट संख्या-122, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि रिकु शर्मा पिता कारु ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-हेदलाग, पोस्ट-लुपुंग, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छयाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-94/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 479/रा० दिनांक 08.02.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1527 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किरम रैयती है। खतियानी रैयत झमन हजाम वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.24 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.66 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-26/1 पर ऑनलाईन में गौरी हजाम वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। आवेदक के दादा वगै० जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक धरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.62 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
कार्रवाई  
दिष्पणी

2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में शंकर ठाकुर पिता स्व0 सिबल ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कुद-1, थाना नं0-143, खाता संख्या-27, प्लॉट संख्या-122, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि रिकु शर्मा पिता कारु ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-हेदलाग, पोस्ट-लुपुंग, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर सम्महर्ता, हजारीबाग।